

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/655 /

जबलपुर, दिनांक 28/01/2020

II-13-41/19

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 के आलोक में श्री निशिकांत बक्षी, सेवानिवृत्त जमादार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 31/07/2019 से सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त तिथि को 221 दिन के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सही/-
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक B/656 /

जबलपुर, दिनांक 28/01/2020

II-13-41/19

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 7163/स्था0 ग्वालियर, दिनांक 26/12/19 के संदर्भ में श्री निशिकांत बक्षी, सेवानिवृत्त जमादार का आवेदन पत्र, गणना पत्रक एवं अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्न :-अवकाश लेखा।

2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
3. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)
